


द्वितीय / मुन्शी

जि. 998 I/05 दि. 05

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.10.15.	<p>प्रकार कायदा</p> <p>आदेशक द्वारा आदेशक जान का कर पता प्रकर कर का वि वि वि वि वि वि 19/10/15 को अतिरिक्त राशि प्रकार का जमा का प्रकर म. नो आदेशक द्वारा 24/10/15 को कर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर आदेशक द्वारा प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर आदेशक का पालना प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर प्रकर</p>	<p>म. नो प्रकर</p>

Handwritten signature/initials

म. नो
प्रकर



न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० न्यायालय

C-11151

प्र०क्र०

/2005 निगरानी

R. 998-I/05

श्री एस. पी. धाकड़ - एसाकेड
राज्य न्याय दि. 5/7/05 को प्रस्तुत।

जयपुर सी. जे. 6/7/05
सर्वर मण्डल न.प्र. न्यायालय

5 JUL 2005

हरवीर पुत्र बदले जाट
निवासी - ग्राम मुरली का पुरा,
मौजा - बागचीनी तहसील जौरा
जिला - मुरैना म०प्र०

आ तै द क

वनाम

- 1- मुन्नी कथित देवा पंचम सिंह
- 2- राधा केशन पुत्री पंचम दोनों जाति जाट, नीबालिग सरपरस्त स्वर्य मुन्नी देवी,

निवासीगण ग्राम मुरली का पुरा मौजा-
बागचीनी, तहसील जौरा जिला -
मुरैना म०प्र० -- अनाचेक्षण

(SP Dhakad)
S. 7-05

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय अपर आयुक्त न्यायालय संभाग न्यायालय जो कि प्र०क्र०
02/01-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.6.05 के विरुद्ध
निगरानी।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत हैं :-

- 1- यह कि, मौजा बागचीनी पर० जौरा स्थित भूमि सर्वे क्र० 1337 रकवा 24 बीघा 7 बिस्वा भाग 1/8, सर्वे क्र० 1868 रकवा 2 बीघा 18 बिस्वा, सर्वे क्र० 1891 रकवा 1 बीघा 17 बिस्वा, भाग 1/15, सर्वे क्र० 1060 रकवा 2 बीघा 12 बिस्वा भाग 37/55 में से भाग 1/5 एवं सर्वे क्र० 1766 रकवा 4 बीघा 12 बिस्वा भाग 1/3 का मूक्त पंचम सिंह पुत्र मनोहर सहस्वामी होकर आधिपत्यधारी थे।

क्रमशः---2